

प्रेषक,

आलोक यादव,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
आयुर्वेद सेवायें,
उ०प्र०, लखनऊ।

आयुष अनुभाग-

लखनऊ: दिनांक 13 अगस्त, 2019

विषय-शैक्षणिक सत्र 2019-20 हेतु बी०ए०एम०एस०/बी०य०एम०एस०/बी०एच०एम०एस० पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु नीति निर्धारित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-2874/पिक्षा-2348/19(नीट-2019), दिनांक 07.08.2019 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नीट यू०जी०, 2019 की मेरिट सूची के आधार पर शैक्षणिक सत्र-2019-20 में प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथी मेडिकल कालेजों एवं निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथी मेडिकल कालेजों, विश्वविद्यालयों/अल्पसंख्यक विश्वविद्यालयों में बी०ए०एम०एस०/बी०य०एम०एस०/बी०एच०एम०एस० पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु निम्नवत् नीति निर्धारित करते हुए कार्यवाही किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- 1- शैक्षणिक सत्र 2019-20 में प्रदेश के राजकीय एवं निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथी कालेजों में स्नातक बी०ए०एम०एस०/बी०य०एम०एस०/बी०एच०एम० एस० पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु विवरण निम्नवत् है:-
- (1) छात्रों के आनलाईन पंजीकरण, डाटा कैचर फोटो अपलोड शुल्क भुगतान एवं छात्रों की स्टेट मेरिट सूची तैयार किये जाने हेतु तकनीकी संस्था का नामांकन
- (2) छात्रों के आनलाईन पंजीकरण, स्टेट मेरिट सूची तथा विवरण पुस्तिका (ब्रोशर) तैयार किया जाना-

नीट यू०जी०-2019 में अहं घोषित छात्रों के आन लाइन पंजीकरण, स्टेट मेरिट सूची तथा विवरण पुस्तिका (ब्रोशर) तैयार किये जाने की कार्यवाही की जानी है।

प्रदेश के समस्त राजकीय एवं निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में प्रवेश हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों द्वारा ऑन लाइन पंजीकरण अनिवार्य होगा। पंजीकरण के साक्ष्य के रूप में वेबसाइट द्वारा अभ्यर्थी के अभ्यर्थन के क्रम में प्राप्त प्रिन्ट आउट अनुमत्य होगा। अभिलेखों के सत्यापन की कार्यवाही काउन्सिलिंग के समय कराया जाना अपेक्षित है।

(3) राजकीय क्षेत्र के आयुर्वेदिक/यूनानी एवं होम्योपैथिक कालेजों हेतु अहंतायें (Eligibility)

शैक्षणिक सत्र 2019-20 में काउन्सिलिंग हेतु अहंतायें निम्नवत् प्रस्तावित हैं:-

ऐसे छात्र जो नीट 2019 की परीक्षा में अहं घोषित हुए हो तथा निर्धारित आन-लाइन प्रक्रिया के माध्यम से वेबसाइट पर पंजीकरण कराया हो, वह ही काउन्सिलिंग हेतु अहं माने जायेंगे।

- 2- प्रदेश के राजकीय आयुर्वेदिक/यूनानी एवं होम्योपैथी कालेजों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को उ0प्र0 का मूल निवासी होना आवश्यक है।
- (अ) जिन अभ्यर्थियों ने हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट अथवा समकक्ष दोनों परीक्षायें उ0प्र0 से उत्तीर्ण की हो, उनके लिए उत्तर प्रदेश में निवास का प्रमाण पत्र आवश्यक नहीं होगा।
- (ब) ऐसे छात्र जिन्होंने हाई स्कूल अथवा इण्टरमीडिएट परीक्षा में से एक परीक्षा उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की हो, को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत “सामान्य निवास प्रमाण-पत्र” प्रदेश के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा एवं अन्य सुसंगत अभिलेख को भी प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- (स) ऐसे छात्र, जिन्होंने हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट दोनों परीक्षाएं उ0प्र0 से उत्तीर्ण न की हो, को प्रवेश के समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्गत “मूल निवास प्रमाण पत्र” प्रस्तुत करना आवश्यक होगा एवं अन्य सुसंगत अभिलेख को भी प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।
- (4) निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक/यूनानी एवं होम्योपैथिक कालेजों हेतु अर्हताएं (Eligibility)

मात्र ऐसे छात्र, जो नीट 2019 की परीक्षा में अर्ह घोषित हुए हो तथा निर्धारित ऑन लाइन प्रक्रिया के माध्यम से वेबसाइट पर पंजीकरण कराया हो, वह ही काउन्सिलिंग हेतु अर्ह माने जायेंगे। निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक, यूनानी एवं होम्योपैथिक कालेजों की सीटों पर प्रवेश हेतु उ0प्र0 राज्य का निवासी होना या हाईस्कूल तथा इण्टरमीडिएट की परीक्षा उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण करना अनिवार्य नहीं होगा।

(5) शैक्षिक अर्हताएं-

अभ्यर्थी को इण्टरमीडिएट विज्ञान (बायोलाजी/जैव प्रौद्योगिकी ग्रुप) या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। बी0ए0एम0एस0/बी0यू0एम0एस0 तथा बी0एच0एम0एस0 पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्/केन्द्रीय होम्योपैथ परिषद् के रेगुलेशन के अनुसार निर्धारित अर्हताएं लागू होगीं। इसके अनुसार किसी भारतीय विश्वविद्यालय/बोर्ड या अन्य मान्यता प्राप्त संस्था द्वारा संचालित परीक्षा में अंग्रेजी, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान में उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। बी0ए0एम0एस0/बी0यू0एम0एस0 तथा बी0एच0एम0एस0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद्/केन्द्रीय होम्योपैथ परिषद् द्वारा निर्धारित अर्हताएं मान्य होगी, जो निम्नवत् हैं:-

1. अनारक्षित अभ्यर्थियों को अर्हता परीक्षा में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान/जैव प्रौद्योगिकी में औसत 50 प्रतिशत अंक तथा नीट परीक्षा में 50 परसेन्टाइल, अतबमदजपसमद्ध अंक एवं अनारक्षित श्रेणी के दिव्यांग छात्रों को नीट परीक्षा में 45 परसेन्टाइल (Percentile)
2. जैसा कि आल इण्डिया नीट 2019 के आन लाइन ब्रोशर में व्यवस्था निहित है, प्राप्त करना आवश्यक होगा।
3. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों तथा इन श्रेणियों के दिव्यांग छात्रों के लिए अर्हता परीक्षा में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं जीव विज्ञान में औसत 40 प्रतिशत अंक तथा नीट परीक्षा में 40 परसेन्टाइल (Percentile) अंक, जैसा आल इण्डिया नीट 2019 के ऑन लाइन ब्रोशर में व्यवस्था निहित है, प्राप्त करना आवश्यक होगा।
4. यूनानी कालेजों में बी0यू0एम0एस0 पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु इण्टरमीडिएट विज्ञान (बायोलाजी ग्रुप/जैव प्रौद्योगिकी ग्रुप) के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थी को कक्षा 10 के समकक्ष उर्दू विषय की परीक्षा में भी उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा (काउन्सिलिंग के समय अभ्यर्थी के उर्दू ज्ञान की भी पुष्टि की जायेगी)।

5. नीट यूजी० 2019 में सम्मिलित होने हेतु आयु सीमा निम्नवत् है :-

अनारक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिये	दिनांक 07.05.1993 से 01.01.2002 के मध्य जन्म हुआ हो।
अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग / दिव्यांग श्रेणी के लिये	दिनांक 07.05.1988 से 01.01.2002 के मध्य जन्म हुआ हो।

(6) काउन्सिलिंग प्रक्रिया-

नीट यूजी०-2019 की मेरिट सूची के आधार पर राजकीय/निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथी मेडिकल कालेजों, निजी क्षेत्र के विश्वविद्यालयों, डीम्ड विश्वविद्यालय, अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय द्वारा संचालित आयुर्वेदिक/यूनानी/ होम्योपैथी मेडिकल कालेजों एवं अल्पसंख्यक संस्थाओं द्वारा संचालित आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथी मेडिकल कालेजों की समस्त सीटों पर ऑन लाइन काउन्सिलिंग राज्य सरकार द्वारा कराया जाना है। काउन्सिलिंग प्रक्रिया प्रथम व द्वितीय चक्र में सम्पन्न किया जाना अपेक्षित है।

(7) काउन्सिलिंग कार्यक्रम-

ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की तिथि	22.08.2019 से 31.08.2019
ऑनलाइन विकल्प भरने की तिथि	31.08.2019 से 02.09.2019
प्रथम चरण की काउन्सिलिंग के माध्यम से सीट आवंटन	05.09.2019
प्रथम चरण की काउन्सिलिंग के माध्यम से आवंटित सीट का सत्यापन	09.09.2019 से 12.09.2019
द्वितीय चरण की काउन्सिलिंग के माध्यम से सीट आवंटन	17.09.2019
द्वितीय चरण की काउन्सिलिंग के माध्यम से आवंटित सीट का सत्यापन	21.09.2019 से 23.09.2019
मॉप-अप राउण्ड काउन्सिलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन की तिथि	21.09.2019 से 25.09.2019
मॉप-अप राउण्ड काउन्सिलिंग एवं प्रवेश की तिथि	28.09.2019 से 30.09.2019

नोट:- आयुष मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रवेश की अन्तिम तिथि परिवर्धित किये जाने के उपरान्त यदि आवश्यकता होगी तो अग्रिम चक्रों एवं मॉपअप चक की काउन्सिलिंग की तिथि काउन्सिलिंग बोर्ड द्वारा निर्धारित की जायेगी।

(8) पंजीकरण शुल्क

नीट यूजी० 2019 की काउन्सिलिंग में प्रतिभाग करने वाले सभी छात्रों को वेबसाइट पर आन लाइन पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। आन लाइन पंजीकरण के रूप में प्रत्येक छात्र से पंजीकरण शुल्क नान रिफण्डेबल (Non Refundable) के रूप में ₹० 2000/- (रुपये दो हजार मात्र) आन लाइन प्रक्रिया के माध्यम से मात्र एक बार ही लिया जाना प्रस्तावित है।

(9) सिक्योरिटी मनी (धरोहर धनराशि)

नीट यूजी० 2019 की काउन्सिलिंग के माध्यम से राजकीय आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथी मेडिकल कालेजों में आवंटन प्राप्त छात्र/छात्राओं को सिक्योरिटी मनी के रूप में ₹० 10,000/- (रुपये दस हजार मात्र) जमा करना अनिवार्य होगा। निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथी मेडिकल कालेजों हेतु यह धनराशि ₹० 50000/- (रुपये पचास हजार मात्र) जमा करना अनिवार्य होगा।

जिन छात्र/छात्राओं द्वारा आवंटन के पश्चात् संबंधित कालेजों में प्रवेश प्राप्त कर लिया जायेगा, उनकी सिक्योरिटी धनराशि संबंधित महाविद्यालय को भेज दी जायेगी। यदि कोई अभ्यर्थी आवंटन के पश्चात् पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं लेता है तो उसके द्वारा जमा की गयी धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

(10) काउन्सिलिंग बोर्ड-

नीट यूजी-2019 की मेरिट सूची को एडाप्ट करते हुए आयुष विधा के पाठ्यक्रमों (बी0ए0एस0 / बी0यू0एस0 / बी0एच0एस0) में प्रवेश हेतु काउन्सिलिंग बोर्ड के गठन हेतु निम्नलिखित अधिकारियों के नामों का पैनल प्रेषित किया जा रहा है-

काउन्सिलिंग बोर्ड हेतु नामित अधिकारियों का विवरण	काउन्सिलिंग बोर्ड में अधिकारियों की प्रस्तावित नाम
शासन द्वारा नामित अधिकारी	अध्यक्ष अध्यक्ष
शासन द्वारा नामित निदेशक	सदस्य सचिव
आयुष विभाग, उ0प्र0 शासन का नामित प्रतिनिधि	सदस्य
शासन द्वारा नामित किसी राजकीय आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथी मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य/प्रोफेसर	सदस्य अनुसूचित जाति श्रेणी- प्रो0 अरविन्द वर्मा, प्रधानाचार्य, राजकीय नेशनल होम्योपैथिक कालेज, लखनऊ। अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी- डा0 एस0 एस0 पाल, प्रोफेसर, राजकीय नेशनल होम्योपैथिक मेडिकल कालेज, लखनऊ। अनारक्षित श्रेणी- डा0 प्रकाश चन्द्र सक्सेना, प्रधानाचार्य एवं अधीक्षक राजकीय आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज, लखनऊ। अल्पसंख्यक श्रेणी- डा0 मो0 खालिद सिद्दीकी, राजकीय तकमील उत्तिः कालेज, लखनऊ।
आयुर्वेद/यूनानी/होम्योपैथी निदेशालय से निदेशक आयुर्वेद/यूनानी/होम्योपैथद्वारा नामित एक-एक अधिकारी	सदस्य
निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथी अल्पसंख्यक श्रेणी के कालेजों से नामित	सदस्य 1-प्रतिनिधि, जामिया तिब्बिया यूनानी मेडिकल कालेज देवबन्द, सहारनपुर। 2-प्रतिनिधि-भारत आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज मुजफ्फरनगर 3-प्रतिनिधि-वैक्सन होम्योपैथी मेडिकल कालेज नोएडा।

(11) राजकीय क्षेत्र के आयुर्वेदिक/यूनानी एवं होम्योपैथिक कालेजों में आरक्षण :-

प्रदेश के मूल निवासियों को निम्नानुसार आरक्षण अनुमत्य होगा :-

उर्ध्वाधर आरक्षण (वर्टिकल)

1	अनुसूचित जाति के अभ्यर्थी	21 प्रतिशत
2	अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी	02 प्रतिशत
3	अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी	27 प्रतिशत

क्षैतिज (हॉरिजेन्टल) आरक्षण

नीट यू०जी० 2019 में विभिन्न श्रेणी के प्रदेश के मूल निवासियों को निम्नवत् क्षैतिज (हॉरिजेन्टल) आरक्षण प्रदान किया जाना है :-

1	स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों के लिये	02 प्रतिशत
2	भूतपूर्व सैनिक (युद्ध में अपंग / सेवानिवृत्त / शहीद) के पुत्र / पुत्रियों के लिये	02 प्रतिशत
3	दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिये	05 प्रतिशत
4	महिला अभ्यर्थियों के लिये	20 प्रतिशत
5	'बी' ग्रेडिंग सहित 'सी' सर्टिफिकेट एन०सी०सी० कैडेट	01 प्रतिशत

आरक्षित श्रेणियों की सीटों के सम्बन्ध में निम्नलिखित शर्तों का पालन किया जायेगा:-

(क) काउंसिलिंग में सम्मिलित सीटों पर श्रेणी / उपश्रेणीवार नियमानुसार आरक्षण व्यवस्था लागू किये जाने का दायित्व शासन के निर्देशों के अनुसार काउंसिलिंग बोर्ड का होगा।

(ख) अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित और भूतपूर्व सैनिक (युद्ध में अपंग / सेवानिवृत्त / शहीद) के पुत्र / पुत्रियों एवं पुत्र / पुत्री के पुत्र / पुत्रियों की श्रेणी के आरक्षित अभ्यर्थियों के लिये संगत श्रेणी के अभ्यर्थीहोने के संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के अनुसार निर्धारित प्रारूप पर दिये गये प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे।

(ग) कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-18/1/2008-का-2-2015, दिनांक 21.04.2015 के अनुसार उत्तर प्रदेश लोक सेवा (शारीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1993 (यथासंशोधित) में प्राविधानित स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित-पुत्र, पुत्री, पौत्र(पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) द्वारा निर्धारित प्रारूप में सक्षम प्राधिकारी / अधिकारी अर्थात् जिलाधिकारी द्वारा ही आश्रित प्रमाण पत्र काउंसिलिंग के समय प्रस्तुत किया जायेगा।

(घ) उत्तर प्रदेश राज्य के विभिन्न महाविद्यालयों में आयुष यू०जी० कोर्स 2019 में प्रवेश हेतु काउंसिलिंग के सम्बन्ध में जारी किये जाने वाले ब्रोशर में उल्लिखित जातियों के अनुसार ही उत्तर प्रदेश राज्य की अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थियों को उक्त श्रेणी का लाभ प्रदान किया जायेगा। अन्य पिछड़ा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र दिनांक 01.04.2019 या उसके बाद का निर्गत होना अनिवार्य होगा।

दिव्यांगजनों के आरक्षण के संबंध में भारत सरकार के निश्कृत जन अधिनियम-2016 के प्राविधानानुसार 05 प्रतिशत का क्षैतिज आरक्षण दिये जाने के प्राविधान के अनुसार प्रदान किया जायेगा और दिव्यांगजन के प्रमाण पत्र की जाँच के संबंध में नोडल सेन्टर / मेडिकल कालेजों में मेडिकल बोर्ड की व्यवस्था का उल्लेख ब्रोशर में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जायेगा।

(12) निजी क्षेत्र हेतु आरक्षण

निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक / यूनानी / होम्योपैथी मेडिकल कालेजों / विश्वविद्यालयों / अल्पसंख्यक विश्वविद्यालयों / अल्पसंख्यक संस्थाओं / डीम्ड विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण अनुमन्य नहीं होगा।

(13) निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक / यूनानी / होम्योपैथी मेडिकल कालेजों / विश्वविद्यालयों से शुल्क लिये जाने के सम्बन्ध में :-

निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक / यूनानी / होम्योपैथी मेडिकल कालेजों / विश्वविद्यालयों हेतु यह अनिवार्य होगा कि वह शासन द्वारा निर्धारित शुल्क अपनी बेवसाइट पर प्रदर्शित करेंगे एवं अल्पसंख्यक संस्थान भी अपने कालेजों हेतु निर्धारित शुल्क अपनी बेवसाइट पर प्रदर्शित करेंगे साथ ही सम्बन्धित कालेज / विश्वविद्यालय अपने

शुल्क का विवरण निदेशक, आयुर्वेद सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ को दिनांक 01.08.2019 के पूर्व भी उपलब्ध करायेंगे ताकि इन कालजों/विश्वविद्यालयों के शुल्क का विवरण विभागीय बेवसाइट पर प्रदर्शित किया जा सके।

(14) मॉपअप राउण्ड आवंटन

द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग के पश्चात् राजकीय एवं निजी क्षेत्र की आयुष विधाओं की अवशेष सीटों को मॉपअप राउण्ड के माध्यम से भरा जाना प्रस्तावित है।

(15) मॉपअप राउण्ड हेतु निम्न अभ्यर्थी अर्ह होंगे :-

1- मॉपअप राउण्ड में प्रतिभाग करने हेतु नीट-2019 के अर्ह अभ्यर्थियों को ₹0 2,000/- (₹0 दो हजार मात्र) पंजीकरण शुल्क (non refundable) ऑन लाइन प्रक्रिया से जमा करते हुए संबंधित बेवसाइट पर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पूर्व से पंजीकृत ऐसे अभ्यर्थी जिनकी सिक्योरिटी धनराशि जमा है तथा उन्हें कोई आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है, को पुनः पंजीकरण शुल्क जमा करते हुए पंजीकरण कराना अनिवार्य है। परन्तु उन्हें कोई धरोहर धनराशि जमा नहीं करनी होगी।

2- मॉपअप राउण्ड हेतु वही अभ्यर्थी अर्ह होंगे जिन्हें प्रथम एवं द्वितीय काउंसिलिंग के द्वारा कोई भी सीट आवंटित न हुई हो।

3- आवंटन के पश्चात् प्रवेश प्रक्रिया ऑन स्पॉट पूर्ण की जायेगी।

4- इस आवंटन में कोई पुनरावंटन (Reshuffling) अनुमन्य नहीं होगा।

(16) मॉपअप राउण्ड हेतु निम्न अभ्यर्थी अर्ह नहीं होंगे :-

1- नीट-2019 की मेरिट सूची के आधार पर प्रथम/द्वितीय काउंसिलिंग के माध्यम से बी0ए0म0एस0, बी0यू0एम0एस0 एवं बी0एच0एम0एस0 आवंटन प्राप्त प्रवेशित अभ्यर्थी।

2- मॉपअप राउण्ड में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों को मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही आवंटन की कार्यवाही की जायेगी। अभ्यर्थी द्वारा मूल प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न करने की स्थिति में अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जायेगा।

विशेष आवंटन(मॉपअप राउण्ड) में अभ्यर्थियों को समान पाठ्यक्रम में कालेज का परिवर्तन/पुनरावंटन अनुमन्य नहीं होगा, यद्यपि पाठ्यक्रम/विधा परिवर्तन (बनतेम बिंदहम) का विकल्प ही अनुमन्य होगा। मॉपअप राउण्ड में प्रतिभाग करने वाले छात्रों की प्रवेश प्रक्रिया आवंटन स्थल पर ही सम्पन्न की जायेगी।

(17) अभिलेखों का सत्यापन :-

निम्नलिखित अभिलेखों का सत्यापन अभ्यर्थियों द्वारा कराया जायेगा।

शैक्षणिक अभिलेख-

1- हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की मार्कसीट तथा प्रमाण पत्र।

2- सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर निर्गत सामान्य या मूल निवास प्रमाण पत्र।

3- सक्षम प्राधिकारी द्वारा आरक्षण के दावे से सम्बन्धित अभिलेख-अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी के आश्रितों/भूतपूर्व सैनिकों/विकलांगता सम्बन्धी प्रमाण पत्र/एन0सी0सी0'सी' सर्टिफिकेट (अभ्यर्थी जिस आरक्षित श्रेणी का दावा करेंगा, उससे सम्बन्धित प्रमाण पत्र उसके द्वारा सत्यापित कराया जायेगा।

4- नीट यू0जी 2019 की मेरिट से आयुष यू0जी0 कोर्स 2019 में प्रवेश हेतु काउंसिलिंग में प्रतिभाग करने वाले छात्रों को आनलाइन पंजीकरण के रूप में प्रत्येक छात्र से पंजीकरण शुल्क के रूप में ली जाने वाली

धनराशि रु० 2000 (रु० दो हजार मात्र) "निदेशक आयुर्वेदिक एवं यूनानी सेवा, उत्तर प्रदेश लखनऊ" के नाम
खुले खाते में डाला जायेगा।


कृपया उपर्युक्तानुसार आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही समयबद्ध रूप से सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
भवदीय,

(आलोक यादव)
विशेष सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

- 1- सचिव, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (सी०सी०आई०एम०), नई दिल्ली।
- 2- केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद (सी०सी०एच०), नई दिल्ली।
- 3- निदेशक, आयुर्वेद सेवायें, उ०प्र० लखनऊ।
- 4- निदेशक, यूनानी सेवायें, उ०प्र० लखनऊ।
- 5- निदेशक, होम्योपैथी, उ०प्र० लखनऊ।
- 6- समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, उ०प्र० (द्वारा निदेशक, आयुर्वेद सेवायें)
- 7- समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय यूनानी महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, उ०प्र० (द्वारा निदेशक, यूनानी सेवायें)
- 8- समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय होम्योपैथ महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, उ०प्र० (द्वारा निदेशक, होम्योपैथी)
- 9- समस्त प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक कालेज/विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय, अल्पसंख्यक संस्थान उ०प्र० (द्वारा निदेशक, आयुर्वेद सेवायें)।
- 10- समस्त प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, निजी क्षेत्र के यूनानी कालेज/विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय, अल्पसंख्यक संस्थान उ०प्र० (द्वारा निदेशक, यूनानी सेवायें)
- 11- समस्त प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, निजी क्षेत्र के होम्योपैथिक कालेज/विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय, अल्पसंख्यक संस्थान उ०प्र० (द्वारा निदेशक, होम्योपैथी)
- 12- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन।
- 13- निजी सचिव, मा० राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) आयुष विभाग, उ०प्र०।
- 14- श्री आलोक यादव, विशेष सचिव, आयुष विभाग, उ०प्र० शासन एवं अध्यक्ष काउंसिलिंग कमेटी।
- 15- श्री लक्ष्मण सिंह, उप सचिव, आयुष विभाग, उ०प्र० शासन एवं सदस्य काउंसिलिंग कमेटी।
- 16- काउंसिलिंग कमेटी के समस्त नामित सदस्य (श्रा निरेश्वर, आयुर्वेद सेकार्स)
- 16- गार्ड फाइल।

भवदीय,

(रौलेन्स कुमार)
उप सचिव।

✓

कार्यालय,
निदेशक, आयुर्वेद सेवायें,
उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या- ३०२६

/शिक्षा-2348 / 2019

दिनांक) १९ अगस्त, 2019

1. सचिव, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (सी०सी०आई०एम०), नई दिल्ली।
2. केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद, (सी०सी०एच०), नई दिल्ली।
3. उप सचिव, आयुष अनुभाग-१, उ०प्र० शासन के पत्र संख्या-४४६८ / ९६-आयुष-१-२०१९-२५५ / २०१९ लखनऊ दिनांक १३ अगस्त, २०१९ के क्रम में।
4. निदेशक, यूनानी सेवायें, उ०प्र०, लखनऊ।
5. निदेशक, होम्योपैथी, उ०प्र०, लखनऊ।
6. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, उ०प्र०।
7. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय यूनानी महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, उ०प्र०।
8. समस्त प्रधानाचार्य, राजकीय होम्योपैथ महाविद्यालय एवं चिकित्सालय, उ०प्र०।
9. समस्त प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, निजी क्षेत्र के आयुर्वेदिक कालेज/विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय, अल्पसंख्यक संस्थान, उ०प्र०।
10. समस्त प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, निजी क्षेत्र के यूनानी कालेज/विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय, अल्पसंख्यक संस्थान, उ०प्र०।
11. समस्त प्रबन्धक/प्रधानाचार्य, निजी क्षेत्र के होम्योपैथिक कालेज/विश्वविद्यालय अल्पसंख्यक विश्वविद्यालय, अल्पसंख्यक संस्थान, उ०प्र०।
12. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उ०प्र० शासन।
13. निजी सचिव, मा० राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार), आयुष विभाग, उ०प्र०।
14. श्री यतीन्द्र मोहन, विशेष सचिव, आयुष विभाग, उ०प्र० शासन एवं अध्यक्ष काउंसिलिंग कमेटी।
15. श्री लक्ष्मण सिंह, उप सचिव, आयुष अनुभाग-१, उ०प्र० शासन एवं सदस्य काउंसिलिंग कमेटी।
16. काउंसिलिंग कमेटी के समस्त नामित सदस्य।
17. गार्ड फाइल।

८८८
(प्र० एस० एन० सिंह)
निदेशक।